केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.
******

दिनांक: 26.07.2017

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/235
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00228
CICOM/R/2017/00739

अपीलकर्ता : डॉ० राज कुमार,
भारत एकता कॉपरेटिव, प्लॉट नं. 116-117,
सेक्टर - 12, बी.एस.सिटी,
जिला - बोकारो, झारखंड - 827012.

निर्णय की तारीख: 26.07.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	09.06.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	28.06.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. के. मोहापात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.07.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	150088/20.07.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 09.06.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को भेजे अपने दिनांक 06.05.2016 के पत्र (पत्र भेजने की तारीख 06.12.2016) से संबंधित सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. के. मोहापात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल किया है।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 09.06.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के साथ संलग्न दिनांक 06.05.2016 के पत्र से संबंधित सूचना श्री टी. के. मोहापात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। उक्त पत्र के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि यदि आयोग के आदेश के बावजूद भी संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रदान नहीं की जाती है तो अपीलकर्ता आयोग में संबंधित आदेश सं. का उल्लेख करते हुए आदेश के अनुपालन संबंधी पत्र आयोग का लिख सकते हैं, इसके लिए आयोग में कम्प्लाईंस सेल भी बना हुआ है।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

O/C

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Arl 27/07/17

के० सू० आ०
RECEIVED
27 JUL 2017
D. No. Sunti
Initials